न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4142–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल अपील प्रकरण कमांक 10/अ–3/2014–15.

कालूराम आत्मज स्व0श्री हरिसिंह
निवासी ग्राम गेहूँखेड़ा तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती राजश्री राजपूत पत्नि विजय सिंह
निवासी ई–52 राजहर्ष कॉलोनी कोलार रोड,
तहसील हुजूर भोपाल म0प्र0 .....अनावेदक

श्री अजयसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती शशि वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हुजर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार हुजूर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 425/1/5 रकबा 0.090 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 425/1/6 रकबा 0.150 हेक्टेयर के बंटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–3/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 9 सहपठित धारा 151 एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 18 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, साथ ही आपत्तिकर्ताओं द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश एक नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–12–15 को अंतरिम आदेश पारित कर दोनों आवेदन पत्र निरस्त किये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से दस्तावेज सूची सहित तहसीलदार के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिन पर विचार किये बिना आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका एवं आपत्तिकर्ताओं के मध्य राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में विभिन्न प्रकरण विचाराधीन है और वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमियों के आपत्तिकर्ता सह भूमिस्वामी होकर भूमिस्वामी है, अतः उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तहसीलदार द्वारा अनावेदिका को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से आवेदक एवं आपत्तिकर्ता के आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं, जबकि न्यायिक दृष्टि से आपत्तिकर्ताओं को पक्षकार बनाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर बंटान कार्यवाही किया जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका मौके पर कार्यवाही नहीं कराकर केवल कागजों पर बटांन की कार्यवाही कराना चाहती है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया कि आवेदक एवं आपत्तिकर्ताओं के मध्य अनावेदिका की भूमि से संबंधित प्रकरण विचाराधीन है, इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई

है । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से विभिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन्हें निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा राजस्व न्यायालयों सहित व्यवहार न्यायालयों में विभिन्न वाद विचाराधीन होते हुये भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 412/15 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदिका के पक्ष में आदेश पारित करते हुये आवेदक सहित अन्य 37 लोगों की रिट याचिका खारिज कर दी गई है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । तहसीलदार द्वारा वर्तमान पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा रकबा 0.92 एकड़ भूमि नहर के लिये अर्जित कर ली गई है जिसे कालूराम द्वारा स्वीकार किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–8–14 को पारित आदेश की कंडिका 2 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अविवादित रूप से अनावेदिका का स्वत्व है । तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि व्यवहार न्यायालय से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जो भी आदेश होगा वह उभयपक्ष पर बंधनकारी होगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कालूराम द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद क्रमांक 588–ए/13 प्रस्तुत किया गया था और उसी के आधार पर दोनों प्रकरण क्रमांक 5/अ–6–अ/12–13 एवं प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/13–14 निरस्त करवा दिये गये और तत्पश्चात् उक्त वाद भी वापिस ले लिये गये, इससे स्पष्टतः आवेदक की दोषी मन्शा परिलक्षित होती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि सामान्यतः किसी भी पक्षकार द्वारा प्रथमदृष्टया बताये गये आधारों पर उसे पक्षकार बनाना चाहिये, क्योंकि मात्र पक्षकार बनाने से प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर न तो उसका कोई स्वत्व उत्पन्न होता है और न ही किसी

के स्वत्व समाप्त होते हैं । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यक है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे न्यायहित में आपत्तिकर्ता को पक्षकार बनाकर उसे पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध कराकर तद्नुसार प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर